राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ईएसआई योजना,

लक्ष्मीनगर, अजमेर रोड, जयपुर

दूरभाष न. 0141–2223572

E-Mail-dmhsesi@yahoo.co.in./esis-rj@esic.nic.in

Website-http://www.health.rajasthan.gov.in/esi

कमांक–प. 100/जी–3/ईएसआई/2020/672 दिनांक– 13.03.2020

अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय
भीलवाडा/जोधपुर/कोटा/पाली

समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय,
राजस्थान।

विषय :– कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण से बचाव/रोकथाम के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं का पत्र क्रमांक एसीएस/एमएण्डएच/2020/62 दिनांक 06.03.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए इस रोग के बचाव हेतु आवश्यक है कि क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर IEC सामग्री प्राप्त करके परिसर में Display करावे तथा अन्य आपातकालीन व्यवस्थाएँ यथा N-95 मास्क तथा Triple layered Mask एवं हाइपोक्लोराइट (1% Hypochlorite) स्थानीय स्तर पर खरीद कर उपलब्धता सुनिश्चित करे तथा दरवाजों/कुर्सियों/अलमारियों के हत्थों, मेज, सीढ़ियों की रैलिंग, फर्श एवं अन्य संभावित मुख्य रूप से स्पर्श में आने वाली वस्तुओं/उपकरणों आदि पर दैनिक रूप से Mopping करवाते हुए विसंक्रमित (Disinfection) किया जावे।

साथ ही संदिग्ध रोगियों के लिए आइसोलेशन (Isolation) की व्यवस्था रखे। ILI मरीजों के लिए अलग से OPD का प्रावधान करे।

पत्र को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

13.03.2020

(डॉ0 वी.के. माथुर)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव